ए.

भारत की दंत परिषद बनाम.

बियानी शिक्षण समिति और ए. एन. आर. (2022 की सिविल अपील संख्या 2912) अप्रैल 12,2022

बी.

[एल**.** नागेश्वर राव और बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.** जे**.]**

दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948-ss.10 ए और 20-भारतीय दंत परिषद (नए दंत महाविद्यालयों की स्थापना, अध्ययन या प्रशिक्षण के नए या उच्च पाठ्यक्रम का उद्घाटन और दंत महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2006 -आर. 6 (2) (एच)-विनियम बनाने की शक्ति-प्रत्यर्थी नं. 6 (2) (एच) को दंत महाविद्यालय की स्थापना की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।1 – उत्तरदाता नं. 1 ने नया आवेदन प्रस्तुत किया जिसे प्रत्यर्थी सं. 2 इस आधार पर कि आवेदन विनियमों के संशोधित विनियम 6 (2) (एच) का अनुपालन नहीं कर रहा था-उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने प्रत्यर्थी सं. 1 अपने आवेदन की अस्वीकृति आदेश को चुनौती देते हुए-हालांकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 21 मई, 2012 को विनियमन 6 (2) (एच) में संशोधन करने वाली विवादित अधिसूचना को रद्द करके रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थी सं. 2 प्रत्यर्थी सं. के आवेदन पर पुनर्विचार करना। 1-विवादित अधिसूचना को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (7) के तहत प्रत्यायोजित कानून बनाना परिषद की शक्तियों के दायरे से बाहर है।यह तय किया जाता है कि अधीनस्थ विधान पर अनुचितता के आधार पर सवाल उठाया जा सकता है, ऐसी अनुचितता उचित नहीं होने के अर्थ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस अर्थ में होनी चाहिए कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है-तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ धाराओं की उप-धारा (7) के खंड (जी) को ध्यान में रखने में विफल रही है।10 अधिनियम का ए-जबकि एस की उप-धारा (7) के खंड (ए) से (एफ)।10 उक्त अधिनियम का ए विभिन्न कारकों से संबंधित है, जिसका खंड (जी), जिसे एक अवशिष्ट खंड कहा जा सकता है, परिषद को किसी भी अन्य कारक पर भी विचार करने में सक्षम बनाता है जो निर्धारित किया जा सकता है-एस. एस. का संयुक्त पठन। 10 अधिनियम के ए (7) (जी) और 20 (2) (एफ. बी.) से पता चलेगा कि कोई अन्य शर्त निर्धारित करने वाले विनियम बनाना परिषद की क्षमता के भीतर है, जो अन्यथा धारा ए की उप-धारा (7) के खंड (ए) से (एफ) में नहीं पाए जाते हैं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

635

636 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

10 उक्त अधिनियम में से ए-उसी को चुनौती देने की अनुमति केवल स्पष्ट मनमानेपन के आधार पर होगी-प्रत्यर्थी नं।1 उस बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा जो विवादित अधिसूचना को स्पष्ट मनमानेपन-अधीनस्थ विधान से पीड़ित था।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 14-भारतीय दंत परिषद (नए दंत महाविद्यालयों की स्थापना, अध्ययन या प्रशिक्षण के नए या उच्च पाठ्यक्रम का उद्घाटन और दंत महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2006 -आर. 6 (2) (एच)-क्या 21 मई, 2012 की विवादित अधिसूचना में आर.6(2) (ज) संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था?– आयोजित किया गयाःकार्यकारी कार्रवाइयों पर लागू होने वाली मनमानी कार्रवाई के परीक्षण अनिवार्य रूप से प्रत्यायोजित कानून पर लागू नहीं होते हैं-ताकि प्रत्यायोजित कानून को निरस्त किया जा सके, ऐसा कानून स्पष्ट रूप से मनमाना होना चाहिए; एक ऐसा कानून जिससे कानून बनाने की शक्ति के साथ प्रत्यायोजित प्राधिकरण से निकलने की उचित रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती है-विवादित अधिसूचना से पहले स्थापित कॉलेज और विवादित अधिसूचना के बाद स्थापित/स्थापित होने वाले कॉलेज दो अलग-अलग वर्ग बनाएंगे-विभिन्न वर्गों के लिए अंतर व्यवहार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रभावित नहीं होगा-परिषद द्वारा विनियमन 6 (2) (एच) में संशोधन करते समय विचार किए गए कारक प्रासंगिक कारक हैं-कारकों का उस उद्देश्य के साथ संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है जो पर्याप्त शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करना है।14 संविधान से।

बी.

सी.

डी.

ई.

भारत का संविधान-अनुच्छेद 19 (1) (छ)-भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (नए दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना, अध्ययन या प्रशिक्षण के नए या उच्च पाठ्यक्रम का उद्घाटन और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2006 -आर. 6 (2) (एच)-क्या

21 मई, 2012 की विवादित अधिसूचना में आर.6(2) (ज) संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (छ) का उल्लंघन था?– एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार को विनियमित किया जा सकता है-इस तरह के नियामक उपाय, सामान्य रूप से, उचित शैक्षणिक मानकों, वातावरण और बुनियादी ढांचे के रखरखाव और कुप्रशासन की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए होने चाहिए-उचित शैक्षणिक मानकों और बुनियादी ढांचे के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए विवादित अधिसूचना बनाई गई है-विवादित अधिसूचना कला का उल्लंघन नहीं है।19(1) (जी)।

एफ.

जी.

एच.

637

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बियानी शिक्षण समिति और ए. एन. आर.

ए.

न्यायालय अभ्यास और प्रक्रियाएं-न्यायिक स्वामित्व-प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए प्रार्थना, जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था, को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दायर और मंजूर की गई नई रिट याचिका में नवीनीकृत किया गया था-न्यायिक औचित्य के आधार पर भी उच्च न्यायालय की खंड पीठ को एक प्रार्थना के लिए रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था, जो पहले ही खारिज हो चुकी थी।

बी.

अपील को स्वीकार करते हुए**,** न्यायालय ने कहाः

सी.

1. इस न्यायालय ने पाया कि खंड पीठ उक्त अधिनियम की धारा **10** ए की उप**-**धारा **(7)** के खंड **(**जी**)** पर विचार करने में विफल रही है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां उक्त अधिनियम की धारा **10** ए की उप**-**धारा **(7)** के खंड **(**ए**)** से **(**एफ**)** विभिन्न कारकों से संबंधित हैं**,** वहीं इसका खंड **(**जी**),** जिसे अवशिष्ट खंड कहा जा सकता है**,** परिषद को किसी अन्य कारक पर भी विचार करने में सक्षम बनाता है जो निर्धारित किया जाए।**[**पैरा **29] [653-**बी**-**सी**]**

डी.

2. इस न्यायालय ने आगे पाया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ भी उक्त अधिनियम की धारा **20** की उप**-**धारा **(2)** के खंड **(**एफ**.** बी**.)** पर विचार करने में विफल रही है। इन प्रावधानों के एक संयुक्त पठन से पता चलेगा कि परिषद को किसी भी अन्य कारक को ध्यान में रखने का

अधिकार है जो निर्धारित किया जा सकता है और उक्त अधिनियम की धारा **10** ए की उप-धारा **(7)** के खंड **(**जी**)** के तहत किसी अन्य कारक के संबंध में एक विनियमन बनाने का भी अधिकार है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह परिषद की क्षमता के भीतर है कि वह किसी भी अन्य शर्तों को निर्धारित करने वाले विनियम बनाए**,** जो अन्यथा उक्त अधिनियम की धारा **10** ए की उप-धारा **(7)** के खंड **(**ए**)** से **(**एफ**)** में नहीं पाए जाते हैं। उसी को चुनौती देने की अनुमति केवल स्पष्ट मनमानेपन के आधार पर होगी।यह भी समान रूप से तय किया जाता है कि अनुमान हमेशा किसी प्रावधान की वैधता के संबंध में होता है।भार उस पक्ष पर है जो इस तरह के प्रावधान की वैधता को चुनौती देता है।इस न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थी संख्या **1** यह दिखाने के लिए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है कि विवादित अधिसूचना स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है।**[**पैरा **30] [653-**सी**-**एफ**]**

ई.

एफ.

जी.

3. दूसरा**,** उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने **21** मई**, 2012** की विवादित अधिसूचना को उल्लंघनकारी पाया।

एच.

ए.

संविधान के अनुच्छेद **14** के अनुसार**,** इस आधार पर कि विवादित अधिसूचना से पहले स्थापित दंत महाविद्यालयों को चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी**,** जबकि विवादित अधिसूचना के बाद स्थापित दंत महाविद्यालयों को ऐसे चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ संलग्न करने के लिए मजबूर किया जाएगा।हमारा विचार है कि विवादित अधिसूचना से पहले स्थापित कॉलेज और विवादित अधिसूचना के बाद स्थापित/स्थापित किए जाने वाले कॉलेज दो अलग-अलग कक्षाओं का निर्माण करेंगे।विभिन्न वर्गों के लिए भेदभावपूर्ण व्यवहार भारत के संविधान के अनुच्छेद **14** से प्रभावित नहीं होगा।एकमात्र आवश्यकता यह होगी कि क्या इस तरह के वर्गीकरण का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध है। इसके बाद दिए गए कारणों से**,** हम पाते हैं कि परिषद द्वारा विनियमों के विनियम **6 (2) (**एच**)** में संशोधन करते समय जिन कारकों पर विचार किया गया है**,** वे प्रासंगिक कारक हैं।इन कारकों का उस उद्देश्य के साथ संबंध है जिसे प्राप्त करने की इच्छा है।परिषद की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि विनियमों के संशोधित विनियम **6 (2) (**एच**)** को लागू किया गया था ताकि यह प्रस्तावित दंत महाविद्यालयों के छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर सके।इसलिए**,** यह नहीं कहा जा सकता है कि परिषद ने उन कारकों को ध्यान में रखा है**,** जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य

के लिए प्रासंगिक या उपयुक्त नहीं हैं।इसका उद्देश्य छात्रों को पर्याप्त शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है।यदि विशेषज्ञ निकाय के विवेक में, यह पहले से मौजूद मेडिकल कॉलेज के साथ एक डेंटल कॉलेज को जोड़कर किया जा सकता है, तो इसमें गलती नहीं की जा सकती है।[पैरा **31] [653-**एफ-एच; ए-ई]

बी.

सी.

डी.

ई.

4. संशोधित विनियम को ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से मनमाना है, ताकि न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति मिल सके।इसके विपरीत, इस न्यायालय ने पाया कि संशोधित विनियम **6 (2) (**एच) का उस उद्देश्य के साथ सीधा संबंध है जिसे प्राप्त किया जाना है, अर्थात छात्रों को पर्याप्त शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना।[पैरा **33] [654-**जी-एच; **655-**ए]

एफ.

जी.

5. यह उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निष्कर्ष पर छोड़ देता है कि संशोधित विनियमन संविधान के अनुच्छेद **19 (1) (**जी) का उल्लंघन करता है।संविधान पीठ ने स्वयं यह अभिनिर्धारित किया है कि शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार को विनियमित किया जा सकता है।हालाँकि, ऐसे नियामक उपायों को, सामान्य रूप से, ए

एच.

उचित शैक्षणिक मानकों, वातावरण और बुनियादी ढांचे के रखरखाव और कुप्रशासन की रोकथाम सुनिश्चित करना।[पारस **40** और **41] [657-**सी, एफ-जी]

6. उच्च न्यायालय की खंड पीठ का विवादित निर्णय भी न्यायिक औचित्य के आधार पर टिकाऊ नहीं है।डिवीजन बेंच के समक्ष दायर रिट याचिका में, अनुरोध विवादित अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने और प्रत्यर्थी संख्या **1** के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के निर्देश के लिए था।विवादित अधिसूचना को पहले की रिट याचिका में बहुत अच्छी तरह से चुनौती दी जा सकती थी, जिसे वर्ष **2016** में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर

विद्वान गया था।हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उस रिट याचिका में विफल होने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या **1** ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की।यद्यपि प्रार्थना में से एक विवादित अधिसूचना की वैधता को चुनौती देती है, दूसरी प्रार्थना इसके प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का दावा करती है।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या **1** द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध, जिसे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था, को वर्ष **2017** में दायर और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दी गई नई रिट याचिका में नवीनीकृत विद्वान गया है। इसलिए, न्यायिक औचित्य के आधार पर भी उच्च न्यायालय की खंड पीठ को एक प्रार्थना के लिए रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था, जो पहले से ही खारिज हो चुकी थी।इस मामले को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित **24** अप्रैल, **2018** का विवादित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है।**[** पारस **43** और **44] [658-**ए-बी; डी-एच**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम। सुभर्ती के. के. बी. चैरिटेबल

एफ.

ट्रस्ट एंड अदर (2001) 5 एस. सी. सी. 486:[2001] 3 एससीआर

149; महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एक अन्य बनाम परितोष भुपेशकुमार सेठ और अन्य **(1984) 4** एस**.** सी**.** सी**. 27:[1985] 1** एस**.** सी**.** आर**. 29;** भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद बनाम सुरिंदर कुमार धवन और अन्य **(2009) 11** एस**.** सी**.** सी**. 726:[2009] 3** एस**.** सी**.** आर**. 859;** इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स बॉम्बे**)** प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और

जी.

अन्य (1985) 1 एस. सी. सी. 641:[1985] 2 एस. सी. आर. 287 खोडे

डिस्टिलरीज लिमिटेड और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और

अन्य (1996) 10 एस. सी. सी. 304:[1995] 6 पूरक।एससीआर 759;

एच.

ए.

टी. एन. राज्य और एक अन्य बनाम। पी. कृष्णमूर्ति और

अन्य (2006) 4 एस. सी. सी. 517:[2006] 3 एससीआर 396; सुप्रीम

न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ।बनाम यूनियन ऑफ

भारत और दूसरा (1989) 4 एस. सी. सी. 187:[1989] 3 एससीआर

488; श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **(1990) 3** एस**.** सी**.** सी**. 223:[1990] 1** एससीआर **909;** सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम। क्षेत्रीय निदेशक**,** राष्ट्रीय शिक्षक परिषद

बी.

शिक्षा और दूसरा (2003) 3 एस. सी. सी. 321:[2003] 1

एस**.** सी**.** आर**. 975;** रमेशचंद्र कचारदास पोरवाल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य **(1981) 2** एस**.** सी**.** सी**. 722:[1981] 2** एस**.** सी**.** आर**. 866;** भारत संघ और एक अन्य बनाम साइनामाइड इंडिया लिमिटेड और दूसरा **(1987) 2** एस**.** सी**.** सी**. 720:[1987] 2** एससीआर **841;** हरियाणा राज्य बनाम राम किशन और अन्य **(1988) 3** एससीसी **416;** टी**.** एम**.** ए**.** पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य **(2002) 8**

सी.

एससीसी **481:[2002] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 587-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

डी.

[2001] 3 एससीआर **149**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[1985] 2 एससीआर **287**

संदर्भित किया गया है

पैरा **22**

[1995] 6 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 759** पैरा **25 [2006] 3** एस**.** सी**.** आर**. 396** पैरा **26 [1989] 3** एस**.** सी**.** आर**. 488** पैरा **26 [1990] 1** एस**.** सी**.** आर**. 909** पैरा **26 [2003] 1** एस**.** सी**.** आर**. 975** पैरा **26 [1981] 2** एस**.** सी**.** आर**. 866** पैरा

26 [1987] 2 एस**.** सी**.** आर**. 841** पैरा **26 (1988) 3** एस**.** सी**.** सी**. 416** पैरा **26 [1985] 1** एस**.** सी**.** आर**. 29** पैरा **35 [2009] 3** एस**.** सी**.** आर**. 859** पैरा **38 [2002] 3** सप्लीमेंट।पैरा **40** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 587**

ई.

एफ.

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील No.2912।

एच.

641

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बियानी शिक्षण समिति और ए. एन. आर.

ए.

राजस्थान के उच्च न्यायालय के 2017 के डी. बी. सिविल रिट <आई. डी. 1 में जयपुर की पीठ के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, गौरव शर्मा, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

बी.

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएसजी, सुश्री शोभा गुप्ता, राजेंद्र कुमार पाणिग्रही, सुश्री जेसी कुरियन, निशांत बहुगुणा, विदित अग्रवाल, शुभम जालान, सुश्री प्राची शर्मा, सुश्री साक्षी तिवारी, गुरमीत सिंह मक्कर, सुश्री रुचि कोहली, शैलेश मडियाल, दिग्विजय दाम, भुवन कपूर, हिमांशु सतीजा, सुश्री सृष्टि मिश्रा, सुश्री पूर्णिमा सिंह, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

सी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.**

1. छुट्टी दे दी गई।

डी.

2. वर्तमान अपील राजस्थान उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच, जयपुर की बेंच, दिनांक 24 अप्रैल, 2018 के फैसले और आदेश को चुनौती देती है, जो 2017 की डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3260 में पारित किया गया था, जिससे प्रत्यर्थी शिक्षा समिति (जिसे इसके

बाद "प्रत्यर्थी संख्या 1" के रूप में संदर्भित किया गया है) की ओर से दायर रिट याचिका को अनुमति दी गई और 21 मई, 2012 की अधिसूचना (जिसे इसके बाद "विवादित अधिसूचना" के रूप में संदर्भित किया गया है) को रद्द कर दिया गया, जिसके अनुसार अपीलकर्ता-भारतीय दंत परिषद (जिसे इसके बाद "परिषद" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने 2017 की दंत चिकित्सा परिषद के विनियमन 6 (2) (एच) को प्रतिस्थापित किया था।

ई.

एफ.

3. वर्तमान मामले में तथ्य विवादित नहीं हैं।

जी.

4. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 24 सितंबर, 2011 को शैक्षणिक वर्ष से दंत महाविद्यालय की स्थापना की अनुमति के लिए भारत सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत किया था।यह राज्य सरकार द्वारा 23 सितंबर, 2011 को आशय पत्र जारी किए जाने के बाद किया गया था।प्रत्यर्थी संख्या 2-भारत संघ, के माध्यम से

एच.

ए.

सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (दंत शिक्षा अनुभाग) (जिसे इसके बाद "प्रत्यर्थी संख्या 2" के रूप में संदर्भित किया गया है) ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रस्ताव में कुछ कमियों को देखा और 7 अक्टूबर, 2011 के अपने पत्र के माध्यम से, प्रत्यर्थी संख्या 1 को उक्त कमियों को दूर करने की आवश्यकता थी।

5. कुछ संचारों के आदान-प्रदान के बाद, 6 जनवरी, 2012 को, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 6 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 के आवेदन को इस आधार पर वापस कर दिया कि 31 दिसंबर, 2011 से पहले बताई गई कमियों को ठीक नहीं किया गया था, यानी कमियों को दूर करने की अंतिम तिथि।

बी.

6. इस बीच, राजस्थान सरकार ने 11 जनवरी, 2012 को प्रत्यर्थी संख्या 1 को अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किया।तथापि, 17 फरवरी, 2012 को प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 6 जनवरी, 2012 के अपने पूर्व पत्र में बताए गए आधारों पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के आवेदन/अनुरोध पर

पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया।इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 1 के अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के अनुरोध को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा 17 फरवरी, 2012 के अपने संचार के माध्यम से अस्वीकार कर दिया गया।

सी.

डी.

7. इस बीच, विवादित अधिसूचना के माध्यम से, विनियमों के मौजूदा विनियम 6 (2) (एच) को 21 मई, 2012 को संशोधित विनियम 6 (2) (एच) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने शैक्षणिक वर्ष 2013-2014 के लिए 28 सितंबर, 2012 को फिर से अपना नया आवेदन जमा किया।इसे प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा 31 दिसंबर, 2012 के अपने आदेश के माध्यम से इस आधार पर वापस कर दिया गया था कि प्रस्ताव/आवेदन विनियमों के संशोधित विनियम 6 (2) (एच) के अनुपालन में नहीं था।23 जनवरी, 2013 को, इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था कि चूंकि 11 जनवरी, 2012 को उसे अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया था, इसलिए विवादित अधिसूचना उस पर लागू नहीं थी और विनियमों के अपरिवर्तित विनियमन 6 (2) (एच) के तहत अपने आवेदन पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया।प्रत्यर्थी संख्या 2 ने 5 मार्च, 2013 के अपने आदेश के माध्यम से प्रत्यर्थी संख्या 1 के आवेदन को खारिज कर दिया।

ई.

एफ.

जी.

8. प्रत्यर्थी सं. 1 ने प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा 2016 की एस. बी. सिविल रिट याचिका के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की पीठ के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपने आवेदन पर पुनर्विचार करने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए पारित आदेश को चुनौती दी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्थापना ए के लिए 24 सितंबर, 2011 को उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने की मांग की।

एच.

643

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बियानी शिक्षण समिति और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

शैक्षणिक सत्र 2017-2018 के लिए एक नए दंत महाविद्यालय का।उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 3 नवंबर, 2016 के फैसले और आदेश के माध्यम से, रिट याचिका में

कोई योग्यता नहीं पाते हुए, इसे खारिज कर दिया।इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 2017 की डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3260 के रूप में डिवीजन बेंच के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें विनियमों के विनियम 6 (2) (एच) में संशोधन करने वाली विवादित अधिसूचना को चुनौती दी गई।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को शैक्षणिक सत्र 2018-2019 के लिए और बाद के शैक्षणिक सत्रों के लिए एक नए दंत महाविद्यालय की स्थापना के लिए अपने आवेदन, दिनांक 28 सितंबर, 2012 पर पुनर्विचार करने के लिए निर्देश देने के लिए प्रार्थना की।24 अप्रैल, 2018 के विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित अधिसूचना को निरस्त करके उक्त रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थी संख्या 2 को विवादित निर्णय और आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।इससे व्यथित होने के कारण, परिषद ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

सी.

9. हमने परिषद की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (संक्षेप में "एएसजी") सुश्री ऐश्वर्या भाटी और प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री शोभा गुप्ता को सुना है।

डी.

10. विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव शर्मा प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने रिट याचिका को स्वीकार करने में घोर गलती की है।वह प्रस्तुत करता है कि परिषद उक्त अधिनियम के तहत विधिवत गठित एक विशेषज्ञ वैधानिक निकाय है। वे प्रस्तुत करते हैं कि उक्त अधिनियम परिषद को न्यूनतम मानकों की आवश्यकता निर्धारित करने सहित दंत शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के लिए विनियम बनाने का अधिकार देता है।वे प्रस्तुत करते हैं कि परिषद ने विभिन्न पहलुओं की जांच करने के बाद विनियमों के विनियम 6 (2) (एच) में संशोधन करना आवश्यक पाया था।उन्होंने कहा कि यह छात्रों को बेहतर शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए किया गया था।वे प्रस्तुत करते हैं कि खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित करने में घोर गलती की है कि प्रत्यायोजित विधान बनाना परिषद की शक्तियों से परे था।वे प्रस्तुत करते हैं कि, किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि विवादित अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन था, पूरी तरह से गलत है।

ई.

एफ.

जी.

11. सुश्री ऐश्वर्या भाटी, विद्वान ए. एस. जी. भी परिषद की ओर से की गई प्रस्तुति का समर्थन करती हैं।के निर्णय पर निर्भर

एच.

644 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 13 एस. सी. आर.

भारतीय दंत परिषद बनाम सुभारती के. के. बी. के मामले में यह न्यायालय।

चैरिटेबल ट्रस्ट और अन्य 1, वह प्रस्तुत करती है कि उच्च न्यायालय को विवादित अधिसूचना में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नियम विशेषज्ञ निकाय द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बनाए गए थे।

12. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री शोभा गुप्ता, इसके विपरीत, यह प्रस्तुत करेंगी कि उच्च न्यायालय ने विवादित अधिसूचना को सही ढंग से रद्द कर दिया है।वह प्रस्तुत करती है कि विवादित अधिसूचना का उस उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि देश में दंत चिकित्सकों की भारी कमी है और इसलिए इस कानून का उद्देश्य नए दंत महाविद्यालयों की संख्या को सीमित करने वाली आवश्यकता प्रदान करने के बजाय अधिक दंत महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना होना चाहिए।तथ्यों पर, वह प्रस्तुत करती है कि 100 किलोमीटर के आसपास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है।जिस स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक नया दंत महाविद्यालय शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।वह प्रस्तुत करती है कि विवादित अधिसूचना, इसलिए, छात्रों के दंत शिक्षा लेने के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।

बी.

सी.

डी.

13. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए, उक्त अधिनियम के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा। उक्त अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार से एक परिषद का गठन करने की अपेक्षा करती है जिसमें उसमें नामित सदस्य हों।उक्त अधिनियम की धारा 10 दंत चिकित्सा योग्यताओं की मान्यता से संबंधित है।उक्त अधिनियम की धारा 10 ए नए दंत महाविद्यालय, अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों आदि की स्थापना की अनुमति से संबंधित है। उक्त अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (1) अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के लिए किसी प्राधिकरण या संस्थान की स्थापना पर प्रतिबंध लगाती है जो ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के छात्र को मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा योग्यता के अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी; यह अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया या उच्चतर पाठ्यक्रम खोलने पर भी प्रतिबंध लगाता है, या अध्ययन या

प्रशिक्षण के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता को बढ़ाता है, जिसमें अध्ययन या प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी शामिल है।यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति दंत शिक्षा के लिए कोई प्राधिकरण या संस्थान स्थापित नहीं कर सकता है और कोई भी प्राधिकरण या संस्थान अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया या उच्चतर पाठ्यक्रम नहीं खोल सकता है, जिसमें अध्ययन या प्रशिक्षण का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल है, या केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं कर सकता है।उक्त अधिनियम सौदे की धारा 10 ए की उप-धारा (2) से (4)

ई.

एफ.

जी.

1 (2001) 5 एससीसी 486 ए

एच.

645

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बियानी शिक्षण समिति और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया या उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने या अध्ययन या प्रशिक्षण के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता बढ़ाने की अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के साथ।उक्त अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (5) एक ऐसा प्रावधान है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि केंद्र सरकार योजना/आवेदन जमा करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना/आवेदन पर आदेश पारित करने में विफल रहती है, तो ऐसी योजना/आवेदन को केंद्र सरकार द्वारा उसी प्रपत्र में अनुमोदित माना जाएगा जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया था।इसमें यह भी प्रावधान है कि उप-धारा (1) के तहत आवश्यक केंद्र सरकार की अनुमति भी दी गई मानी जाएगी।उक्त अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (6) में परिषद या केंद्र सरकार द्वारा मांगे गए विवरण प्रस्तुत करने के लिए अवधि के विस्तार के लिए एक आवेदक को हकदार बनाकर उप-धारा (5) में प्रदान की गई अवधि के विस्तार का प्रावधान है।

बी.

सी.

14. उक्त अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (7) को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, क्योंकि यह रिट याचिका को अनुमति देते समय उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष विचार के लिए था।वह इस प्रकार हैः

डी.

“ 10 ए. नए दंत महाविद्यालय, अध्ययन के नए पाठ्यक्रमों आदि की स्थापना के लिए अनुमति।—(1)

.....

(2)..... XXX

ई.

(7) परिषद, उप-धारा (3) के खंड (बी) के तहत अपनी सिफारिशें करते समय और केंद्र सरकार, उप-धारा (4) के तहत योजना को मंजूरी या अस्वीकृत करने का आदेश पारित करते समय, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगी, अर्थात्:—

एफ.

(क) क्या मान्यता प्राप्त दंत चिकित्सा योग्यता प्रदान करने के लिए प्रस्तावित प्राधिकरण या संस्थान या अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया या उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने की इच्छा रखने वाला मौजूदा प्राधिकरण या संस्थान, धारा 16-ए में निर्दिष्ट आवश्यकताओं और धारा 20 की उप-धारा (1) के तहत बनाए गए विनियमों के अनुरूप दंत चिकित्सा शिक्षा के न्यूनतम मानकों की पेशकश करने की स्थिति में होगा;

जी.

एच.

(ख) अध्ययन या प्रशिक्षण का नया या उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू करने या इसकी प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए किसी प्राधिकरण या संस्थान या मौजूदा प्राधिकरण या संस्थान की स्थापना करने के इच्छुक व्यक्ति के पास पर्याप्त संसाधन हैं या नहीं;

(ग) क्या प्राधिकरण या संस्थान के उचित कामकाज को सुनिश्चित करने या अध्ययन या प्रशिक्षण के नए पाठ्यक्रम का संचालन करने या बढ़ी हुई प्रवेश क्षमता को समायोजित करने के लिए कर्मचारियों, उपकरणों, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के संबंध में आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं या योजना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी;

बी.

सी.

(घ) क्या इस तरह के प्राधिकरण या संस्थान या अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए या प्रवेश क्षमता में वृद्धि के परिणामस्वरूप पर्याप्त अस्पताल सुविधाएं प्रदान की गई हैं या योजना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी;

डी.

(ई) क्या मान्यता प्राप्त दंत योग्यता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा ऐसे प्राधिकरण या संस्थान या अध्ययन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में भाग लेने की संभावना रखने वाले छात्रों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था या कार्यक्रम तैयार किया गया है;

ई.

(च) दंत चिकित्सा के अभ्यास के क्षेत्र में श्रमशक्ति की आवश्यकता; और

(छ) कोई अन्य कारक जो निर्धारित किए जाएं।"

एफ.

15. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि परिषद को अपनी सिफारिशें करते समय और केंद्र सरकार को आदेश पारित करते समय, उक्त अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (7) के खंड (ए) से (जी) में उल्लिखित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है। 16.उक्त अधिनियम की धारा 20 परिषद को केंद्र सरकार की मंजूरी से विनियम बनाने का अधिकार देती है।उक्त अधिनियम की धारा 20 के सुसंगत भाग को संदर्भित करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैः

जी.

"20. विनियम बनाने की शक्ति।- (1) परिषद, के साथ

ए में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार की मंजूरी

एच.

आधिकारिक राजपत्र, इस अध्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत विनियम बनाता है।(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम -

(ए). (बी). XXX XXX

बी.

(एफ. बी.) धारा 10 ए की उप-धारा (7) के खंड (जी) के तहत कोई अन्य कारक निर्धारित करें।

सी.

17. इस प्रकार यह धारा 10 ए की उप-धारा (7) के खंड (जी) और उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के खंड (एफबी) के संयुक्त पठन से देखा जा सकता है कि परिषद को किसी भी अन्य कारक को ध्यान में रखने का भी अधिकार है जो निर्धारित किया जा सकता है और वह धारा 10 ए की उप-धारा (7) के खंड (जी) के तहत किसी अन्य कारक को निर्धारित करने के लिए विनियम बनाने का भी हकदार है।

डी.

18. विनियमन 6 (2) (एच) के प्रावधान का उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा क्योंकि यह विवादित अधिसूचना से पहले मौजूद था और विवादित अधिसूचना को प्रभावी किए जाने के बाद संशोधित प्रावधान था।वे इस प्रकार पढ़ते हैं:

ई.

“ 21 मई, 2012 की विवादित अधिसूचना से पहले विनियमन 6 (2) (एच)

6. पात्रता और योग्यता मानदंड।**-**

(1) .....

एफ.

(2) उप-विनियमन (1) के तहत संगठन दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं:-

(ए). (बी). XXX

जी.

(ज) आवेदक प्रस्तावित दंत महाविद्यालय के परिसर में पूर्व-नैदानिक, परा-नैदानिक और संबद्ध चिकित्सा विज्ञान पढ़ाने सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के साथ अनुलग्नक I के अनुसार 100 बिस्तरों से कम के सामान्य अस्पताल का मालिक है और उसका प्रबंधन करता है।

एच.

या

प्रस्तावित दंत महाविद्यालय भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय या आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निकट स्थित है और उक्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय इस आशय का वचन देता है कि यह प्रस्तावित आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों को चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और संबद्ध आयुर्विज्ञान के विषयों में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।

बी.

या

जहां प्रस्तावित डेंटल कॉलेज के निकट कोई मेडिकल कॉलेज उपलब्ध नहीं है, प्रस्तावित डेंटल कॉलेज कम से कम 5 वर्षों के लिए एक सरकारी सामान्य अस्पताल के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें कम से कम 100 बिस्तरों का प्रावधान है और प्रस्तावित डेंटल कॉलेज के 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित है और यह समझौता तब तक बढ़ाया जा सकता है जब तक कि उसी परिसर में इसका अपना 100 बिस्तरों वाला अस्पताल न हो।ऐसे मामलों में, आवेदक इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि पूर्व-नैदानिक, परा-नैदानिक और संबद्ध चिकित्सा विज्ञान शिक्षण सहित आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रस्तावित दंत चिकित्सा महाविद्यालय के स्वामित्व में हैं।

सी.

डी.

21 मई**, 2012** की विवादित अधिसूचना के बाद विनियम **6 (2) (**एच**)**

ई.

6. पात्रता और योग्यता मानदंड।**-**

(1) .....

(2) उप-विनियमन (1) के तहत संगठन दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं:-

एफ.

(ए). (बी). XXX

(ज) आवेदक अपने प्रस्तावित दंत चिकित्सा महाविद्यालय को भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी चिकित्सा महाविद्यालय के साथ संलग्न करेगा जो 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।प्रस्तावित दंत महाविद्यालय से सड़क मार्ग से और उक्त चिकित्सा महाविद्यालय के साक्ष्य प्रस्तुत करें कि यह प्रस्तावित दंत महाविद्यालय के छात्रों को ए के रूप में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।

जी.

एच.

649

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बियानी शिक्षण समिति और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

समय-समय पर संशोधित संबंधित स्नातक और स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम विनियमों में निर्धारित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के अनुसारः-

बशर्ते कि एक से अधिक दंत महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय के साथ संलग्न नहीं होंगे।"

बी.

19. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विवादित अधिसूचना द्वारा लाया गया परिवर्तन यह है कि, हालांकि अपरिवर्तित विनियमन 6 (2) (एच) के तहत, एक आवेदक आवेदन करने का हकदार था यदि वह कम से कम 100 बिस्तरों वाले सामान्य अस्पताल का स्वामित्व और प्रबंधन करता था; विवादित अधिसूचना द्वारा, यह अनिवार्य कर दिया गया है कि आवेदक को अपने प्रस्तावित दंत चिकित्सा महाविद्यालय को सरकारी/निजी चिकित्सा महाविद्यालय के साथ जोड़ना होगा, जो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त है, जो प्रस्तावित दंत चिकित्सा महाविद्यालय से सड़क मार्ग से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।5 जुलाई, 2017 के संशोधन द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी को अब बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दिया गया है।

सी.

20. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 24 अप्रैल, 2018 के विवादित फैसले और आदेश के माध्यम से रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है और विवादित अधिसूचना को तीन आधारों पर रद्द कर दिया है।,

डी.

(i) कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन है;

ई.

((ख) उक्त अधिनियम की धारा 10 क की उप-धारा (7) के तहत प्रत्यायोजित विधान बनाना परिषद की शक्तियों के दायरे से बाहर है; और

(iii) कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि विवादित अधिसूचना से पहले स्थापित दंत महाविद्यालयों को चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ बिना किसी संलग्नक के चलने की अनुमति दी जाएगी, जबकि, विवादित अधिसूचना के बाद स्थापित दंत महाविद्यालयों को चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ इस तरह का संलग्नक रखने के लिए मजबूर किया जाएगा।

एफ.

21. हम पाते हैं कि डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीशों ने सभी मामलों में गलती की है।

जी.

22. इसकी निम्नलिखित टिप्पणियों को संदर्भित करना प्रासंगिक होगा।

इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में न्यायालय 2.

2 (1985) 1 एस. सी. सी. 641

एच.

“75. अधीनस्थ विधान के एक टुकड़े में उतनी प्रतिरक्षा नहीं होती है जितनी एक सक्षम विधानमंडल द्वारा पारित क़ानून द्वारा प्राप्त की जाती है।अधीनस्थ विधान पर किसी भी आधार पर सवाल उठाया जा सकता है जिस पर पूर्ण विधान पर सवाल उठाया जाता है।इसके अलावा इस आधार पर भी सवाल उठाया जा सकता है कि यह उस क़ानून के अनुरूप नहीं है जिसके तहत इसे बनाया गया है।इन पर आगे इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि यह किसी अन्य क़ानून के विपरीत है।ऐसा इसलिए है क्योंकि अधीनस्थ विधान को पूर्ण विधान के अधीन होना चाहिए।इस आधार पर भी सवाल उठाया जा सकता है कि यह अनुचित है, अनुचित नहीं होने के अर्थ में नहीं, बल्कि इस अर्थ में कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है।”

बी.

सी.

23. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अधीनस्थ विधान पर किसी भी आधार पर सवाल उठाया जा सकता है जिस पर पूर्ण विधान पर सवाल उठाया जाता है।इसके अलावा, इस आधार पर भी सवाल उठाया जा सकता है कि यह उस क़ानून के अनुरूप नहीं है जिसके तहत इसे बनाया गया है।इन पर आगे इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि यह किसी अन्य क़ानून के विपरीत है।हालाँकि इस पर अनुचितता के आधार पर भी सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन इस तरह की अनुचितता उचित नहीं होने के अर्थ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस अर्थ में होनी चाहिए कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है।

डी.

24. उक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधीनस्थ विधान को मनमानेपन के आधार पर चुनौती देने के लिए, यह केवल तभी किया जा सकता है जब यह पाया जाए कि यह क़ानून के अनुरूप नहीं है या यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यह केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि यह उचित नहीं है या इसने प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा है जिन्हें न्यायालय प्रासंगिक मानता है।

ई.

एफ.

25. इंडियन एक्सप्रेस के मामले में इस न्यायालय का फैसला

समाचार पत्र (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) के बाद एक

खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ।

और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य **3.**यह उचित होगा कि

उक्त मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ लें:“13. इसके बाद हमारे समक्ष यह प्रस्तुत किया जाता है कि संशोधित नियम मनमाने, अनुचित हैं और अनुचित कठिनाई पैदा करते हैं और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।यद्यपि अनुच्छेद 19 (1) (छ) का संरक्षण अपीलार्थियों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है, नियम

जी.

3 (1996) 10 एससीसी 304 ए

एच.

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बियानी शिक्षण समिति और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

निस्संदेह, अनुच्छेद 14 की कसौटी को पूरा करना चाहिए, जो मनमाना कार्रवाई के खिलाफ एक गारंटी है।हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद 14 के तहत यहां जिस चीज को चुनौती दी जा रही है, वह कार्यकारी कार्रवाई नहीं है, बल्कि प्रत्यायोजित कानून है।मनमानी कार्रवाई के परीक्षण जो कार्यकारी कार्यों पर लागू होते हैं, आवश्यक रूप से प्रत्यायोजित विधान पर लागू नहीं होते हैं।प्रत्यायोजित विधान को निरस्त करने के लिए, ऐसा विधान स्पष्ट रूप से मनमाना होना चाहिए; एक ऐसा कानून जिससे उचित रूप से कानून बनाने की शक्ति के साथ प्रत्यायोजित प्राधिकरण से उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।इंडियन एक्सप्रेस के मामले में

बी.

समाचार पत्र (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनामभारत संघ (1985) 1 एस. सी. सी.

641 :1985 एस. सी. सी. (कर) 121:(1985) 2 एस. सी. आर. 287] (पृष्ठ 243 पर एस. सी. आर.) इस न्यायालय ने कहा कि अधीनस्थ विधान के एक हिस्से में उतनी प्रतिरक्षा नहीं है जितनी एक सक्षम विधानमंडल द्वारा पारित क़ानून द्वारा प्राप्त की जाती है।अनुच्छेद 14 के तहत एक अधीनस्थ कानून पर इस आधार पर सवाल उठाया जा सकता है कि यह अनुचित है; "उचित नहीं होने के अर्थ में अनुचित नहीं है, बल्कि इस अर्थ में कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है।"इंग्लैंड और भारत में कानून के बीच तुलना करते हुए, न्यायालय ने आगे कहा कि इंग्लैंड में न्यायाधीश कहेंगे, "संसद ने कभी भी ऐसे नियम बनाने का अधिकार नहीं रखा; वे अनुचित और अधिकार से परे हैं।"भारत में, मनमानी एक अलग आधार नहीं है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिबंध के भीतर आएगा।लेकिन अधीनस्थ विधान इतना मनमाना होना चाहिए कि इसे क़ानून के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है या यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।”

सी.

डी.

ई.

26. टी. एन. राज्य और एक अन्य बनाम के मामले में। पी. कृष्णमूर्ति

और अन्य **4** इस न्यायालय द्वारा पहले निर्धारित कानून पर विचार करने के बाद

इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स **(**बॉम्बे**)** प्राइवेट लिमिटेड **(**ऊपर**),** सुप्रीम न्यायालय एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के मामले।बनाम भारत संघ और अन्य **5,** श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **6,** सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम। क्षेत्रीय निदेशक**,** राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद और अन्य **7,** रमेशचंद्र कछारदास पोरवाल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य **8,** भारत संघ और

एफ.

जी.

4 (2006) 4 एस. सी. सी. 517 5 (1989) 4 एस. सी. सी. 187 6 (1990) 3 एस. सी. सी. 223 7 (2003) 3 एस. सी. सी. 321 8 (1981) 2 एस. सी. सी. 722

एच.

एक अन्य बनाम साइनामाइड इंडिया लिमिटेड और अन्य **9** और हरियाणा राज्य

बनाम राम किशन और अन्य 10, इस न्यायालय ने कुछ आधार निर्धारित किए हैं, जिन पर अधीनस्थ विधान को चुनौती दी जा सकती है, जो निम्नानुसार हैंः

" क्या यह नियम पूरी तरह से वैध है?

बी.

15. किसी अधीनस्थ विधान की संवैधानिकता या वैधता के पक्ष में एक धारणा है और बोझ उस पर है जो यह दिखाने के लिए हमला करता है कि यह अमान्य है।यह भी अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि एक अधीनस्थ कानून को निम्नलिखित आधारों में से किसी के तहत चुनौती दी जा सकती हैः

सी.

(क) अधीनस्थ विधान बनाने के लिए विधायी क्षमता का अभाव।

(ख) भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।

(ग) भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन।(घ) उस कानून का पालन करने में विफलता जिसके तहत यह बनाया गया है या सक्षम अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार की सीमाओं से अधिक है।(च) मनमानेपन/अनुचितता को प्रकट करें (इस हद तक कि न्यायालय अच्छी तरह से कह सकती है कि विधायिका का कभी भी ऐसे नियम बनाने का अधिकार देने का इरादा नहीं था)।"

डी.

ई.

27. इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में, हमें विवादित निर्णय और आदेश में खंड पीठ के विद्वान न्यायाधीशों के निष्कर्षों की शुद्धता की जांच करनी होगी।

एफ.

28. जिन आधारों पर विवादित अधिसूचना को निरस्त किया गया है, उनमें से एक यह है कि यह उक्त अधिनियम की धारा 10 ए (7) (डी) के तहत परिषद की शक्तियों के दायरे से बाहर है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (7) के खंड (डी) पर भरोसा किया है कि खंड (डी) संस्थान में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त अस्पताल सुविधाओं को संदर्भित करता है। इसने माना है कि विनियमों के पूर्व-संशोधित विनियम 6 (2) (एच) में अस्पताल की आवश्यकता पहले ही पूरी हो चुकी थी।इसने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि खंड (घ) मेडिकल कॉलेज को संदर्भित नहीं करता है।यह था।

जी.

9 (1987) 2 एससीसी 720 10 (1988) 3 एससीसी 416 ए

एच.

653

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बियानी शिक्षण समिति और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि डेंटल कॉलेजों को सरकारी/निजी मेडिकल कॉलेज के साथ संलग्न करने की आवश्यकता वाली विवादित अधिसूचना उक्त अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (7) के दायरे से बाहर थी और इसलिए, उक्त अधिनियम के साथ असंगत थी।

29. हम पाते हैं कि खंड पीठ उक्त अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (7) के खंड (जी) पर विचार करने में विफल रही है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां उक्त अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (7) के खंड (ए) से (एफ) विभिन्न कारकों से संबंधित हैं, वहीं इसका खंड (जी), जिसे अवशिष्ट खंड कहा जा सकता है, परिषद को किसी अन्य कारक पर भी विचार करने में सक्षम बनाता है जो निर्धारित किया जाए।

बी.

30. हम आगे पाते हैं कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ भी उक्त अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के खंड (एफ. बी.) पर विचार करने में विफल रही है। इन प्रावधानों के एक संयुक्त पठन से पता चलेगा कि परिषद को किसी भी अन्य कारक को ध्यान में रखने और उक्त

अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (7) के खंड (जी) के तहत किसी अन्य कारक के संबंध में एक विनियमन बनाने का भी अधिकार है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह परिषद की क्षमता के भीतर है कि वह किसी भी अन्य शर्तों को निर्धारित करने वाले विनियम बनाए, जो अन्यथा उक्त अधिनियम की धारा 10 ए की उप-धारा (7) के खंड (ए) से (एफ) में नहीं पाए जाते हैं। उसी को चुनौती देने की अनुमति केवल स्पष्ट मनमानेपन के आधार पर होगी। यह भी समान रूप से तय किया जाता है कि अनुमान हमेशा किसी प्रावधान की वैधता के संबंध में होता है।भार उस पक्ष पर है जो इस तरह के प्रावधान की वैधता को चुनौती देता है।हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 यह दिखाने के लिए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा है कि विवादित अधिसूचना स्पष्ट मनमानेपन से ग्रस्त है।31. दूसरा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 21 मई, 2012 की विवादित अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन पाया, इस आधार पर कि विवादित अधिसूचना से पहले स्थापित दंत महाविद्यालयों को चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि, विवादित अधिसूचना के बाद स्थापित दंत महाविद्यालयों को ऐसे चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ संलग्न करने के लिए मजबूर किया जाएगा।हमारा विचार है कि विवादित अधिसूचना से पहले स्थापित कॉलेज और विवादित अधिसूचना के बाद स्थापित/स्थापित किए जाने वाले कॉलेज दो अलग-अलग कक्षाओं का निर्माण करेंगे।विभिन्न वर्गों के लिए भेदभावपूर्ण व्यवहार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से प्रभावित नहीं होगा।एकमात्र आवश्यकता यह होगी कि क्या इस तरह के वर्गीकरण का अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध है। इसके बाद दिए गए कारणों से, हम पाते हैं

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

कि परिषद द्वारा विनियमों के विनियम 6 (2) (एच) में संशोधन करते समय ध्यान में रखे गए कारक प्रासंगिक कारक हैं।इन कारकों का उस उद्देश्य के साथ संबंध है जिसे प्राप्त करने की इच्छा है।परिषद की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि मौजूदा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज

में पहले से ही लगभग 500-700 छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की सुविधा है।ऐसे मेडिकल कॉलेजों में एक पूर्ण शिक्षण संकाय होता है।इस तरह के संकाय दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के छात्रों को पूर्व-नैदानिक, परा-नैदानिक और संबद्ध चिकित्सा आदि के विभिन्न पहलुओं पर उचित शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगे। परिषद ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि 100 या उससे अधिक बिस्तरों की क्षमता वाले सामान्य अस्पतालों में पूर्णकालिक आधार पर विशेषज्ञ नहीं हैं।वे आमतौर पर सलाहकार डॉक्टरों की सेवाओं को नियुक्त करते हैं, जो बहुत सीमित अवधि के लिए अस्पताल जाते हैं।परिषद ने इस तथ्य को भी ध्यान में रखा है कि निजी अस्पतालों में पर्याप्त नैदानिक सुविधाएं और/या नैदानिक सामग्री नहीं है और इसलिए, यह संभावना नहीं है कि वे छात्रों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम होंगे।परिषद की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि विनियमों के संशोधित विनियम 6 (2) (एच) को लागू किया गया था ताकि यह प्रस्तावित दंत महाविद्यालयों के छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर सके।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिषद ने उन कारकों को ध्यान में रखा है, जो प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के लिए प्रासंगिक या उपयुक्त नहीं हैं।इसका उद्देश्य छात्रों को पर्याप्त शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है।यदि विशेषज्ञ निकाय के विवेक में, यह पहले से मौजूद मेडिकल कॉलेज के साथ एक डेंटल कॉलेज को जोड़कर किया जा सकता है, तो इसमें गलती नहीं की जा सकती है।

बी.

सी.

डी.

ई.

32. मौजूदा मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एक से अधिक डेंटल कॉलेज को जोड़ने की अनुमति नहीं देने का कारण यह है कि यदि एक डेंटल कॉलेज को किसी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से जोड़ने की अनुमति दी जाती है, जिसमें पहले से ही अपने 5 वर्षीय एमबीबीएस पाठ्यक्रम के विभिन्न सेमेस्टर में 500-750 छात्र हैं, तो डेंटल कॉलेज के अतिरिक्त छात्रों को उन सुविधाओं में शामिल किया जा सकता है जो पहले से ही मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं।हालांकि, अगर एक से अधिक डेंटल कॉलेज को संलग्न करने की अनुमति दी जाती है, तो इससे मेडिकल कॉलेज में छात्रों की भीड़ बढ़ जाएगी।

एफ.

जी.

33. इसलिए, हमारा विचार है कि संशोधित विनियमन को ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से मनमाना है, ताकि न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति मिल सके।इसके विपरीत, हम पाते हैं कि संशोधित विनियमन 6 (2) (एच) का उद्देश्य ए के साथ सीधा संबंध है।

एच.

655

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बियानी शिक्षण समिति और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

यह लक्ष्य हासिल किया गया है, अर्थात, छात्रों को पर्याप्त शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना।

34. विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय की खंड पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगाः

"हम यह समझने में विफल हैं कि कैसे पहले के प्रावधान, किसी भी तरह से, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थे जिसे प्राप्त किया जाना था।संशोधित विनियम 6 (2) (एच) को सावधानीपूर्वक पढ़ने से प्रस्तावित दंत महाविद्यालय के परिसर में आवेदक के स्वामित्व और प्रबंधन वाले सामान्य अस्पताल के साथ संलग्नक की आवश्यकता दिखाई देती है।यह पूर्व-नैदानिक, परा-नैदानिक और संबद्ध चिकित्सा विज्ञानों को पढ़ाने सहित बुनियादी सुविधाओं के साथ था।

बी.

सी.

यदि हम व्यावहारिक प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं, तो यह अस्पताल में अधिक होगा, इसलिए, विनियमन 6 (2) (एच) के अपरिवर्तित प्रावधान में सामान्य अस्पताल या शिक्षण की आवश्यक सुविधाओं के साथ एक मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़ाव दोनों प्रदान किए गए हैं।"

डी.

35. इस संबंध में, हम महाराष्ट्र राज्य बोर्ड के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का लाभप्रद रूप से उल्लेख करेंगे।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा और एक अन्य बनाम परितोष भुपेशकुमार सेठ और अन्य **11:**

ई.

"14. .....क्या कोई नियम या विनियम या अन्य प्रकार का वैधानिक साधन-प्रतिनिधि को प्रदत्त अधीनस्थ विधान की शक्ति से अधिक है, इसका निर्धारण केवल नियम, विनियम आदि बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले प्रासंगिक क़ानून में निहित विशिष्ट प्रावधानों और अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के संदर्भ में किया जाना चाहिए जो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से

एकत्र किया जा सकता है।न्यायालय के लिए यह पूरी तरह से गलत होगा कि वह विधायिका या उसके प्रतिनिधि के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित करे कि कौन सा सिद्धांत या नीति अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगी और विनियमन बनाने वाले निकाय द्वारा निर्धारित नीति के विवेक और प्रभावशीलता या अन्यथा पर निर्णय में बैठेगी और किसी विनियमन को केवल इस आधार पर अधिकार से बाहर घोषित करेगी कि न्यायालय की दृष्टि में, विवादित प्रावधान अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने में मदद नहीं करेंगे। जब तक नियम या विनियम बनाने का कार्य सौंपा गया निकाय प्राधिकरण के दायरे में कार्य करता है

एफ.

जी.

11 (1984) 4 एससीसी 27

एच.

उसे इस अर्थ में प्रदान किया जाता है कि उसके द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों का क़ानून के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है, न्यायालय को ऐसे नियमों या विनियमों के विवेक या प्रभावशीलता के साथ खुद को चिंतित नहीं करना चाहिए।"

36. इस न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय के लिए यह पूरी तरह से गलत होगा कि वह विधायिका या उसके प्रतिनिधि के लिए अपनी राय को प्रतिस्थापित करे कि कौन सा सिद्धांत या नीति अधिनियम के उद्देश्यों और उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से पूरा करेगी। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय के लिए यह अनुज्ञेय नहीं है कि वह विनियमन बनाने वाले निकाय द्वारा निर्धारित नीति के विवेक और प्रभावशीलता या अन्यथा पर निर्णय दे और किसी विनियमन को केवल इस आधार पर अधिकार से बाहर घोषित करे कि न्यायालय के विचार में, विवादित प्रावधान अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को पूरा करने में मदद नहीं करेंगे।

बी.

सी.

37. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ की ऊपर उद्धृत टिप्पणियां महाराष्ट्र राज्य बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र के मामले में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार के बिल्कुल विपरीत हैं।

डी.

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा और दूसरा (ऊपर)।

38. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने विवेक को नियम बनाने वाले निकाय के साथ प्रतिस्थापित करने में गलती की है, जो एक विशेषज्ञ निकाय है।इस संबंध में, इन टिप्पणियों का उल्लेख करना भी उचित होगा।

ई.

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद बनाम सुरिंदर कुमार धवन और अन्य के मामले में न्यायालय 12.विभिन्न बातों पर विचार करने के बाद

इस मुद्दे पर निर्णय, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:"16. न्यायालय न तो सांविधिक व्यावसायिक तकनीकी निकायों के स्थान पर खुद को प्रतिस्थापित करने और तकनीकी शिक्षा के मानकों और गुणवत्ता से जुड़े शैक्षणिक मामलों में निर्णय लेने के लिए सुसज्जित हैं और न ही उनके पास शैक्षणिक या तकनीकी पृष्ठभूमि है।यदि अदालतें व्यक्तिगत संस्थानों या छात्रों से उनकी पसंद के पाठ्यक्रमों की अनुमति देने के लिए याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर देती हैं, या तो उनकी सुविधा के लिए या कठिनाई को कम करने के लिए या बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए, या क्योंकि वे सोचते हैं कि एक पाठ्यक्रम दूसरे के बराबर है, सामान्य रूप से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावों को महसूस किए बिना, यह शिक्षा में अराजकता और शिक्षा के स्तर में गिरावट का कारण बनेगा।

एफ.

जी.

12 (2009) 11 एससीसी 726 ए

एच.

657

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बियानी शिक्षण समिति और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.] ए.

17. शिक्षा पर वैधानिक विशेषज्ञ निकायों की भूमिका और अदालतों की भूमिका को एक सरल नियम द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है।यदि यह शिक्षा नीति का सवाल है या शैक्षणिक मामले से जुड़ा कोई मुद्दा है, तो अदालतें अपने हाथ बंद रखती हैं।"

39. इसलिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ के लिए विशेषज्ञों के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और यह मानना था कि संशोधित प्रावधानों की तुलना में असंशोधित प्रावधानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी।

बी.

40. यह हमें उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निष्कर्ष के साथ छोड़ देता है कि संशोधित विनियमन संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन है।इस संबंध में रिलायंस को टी. एम. ए. के मामले में इस न्यायालय के ग्यारह न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले पर रखा गया है।

सी.

पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य **13.**में।

इस संबंध में, उक्त मामले में इस न्यायालय की ग्यारह न्यायाधीशों की संविधान पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगाः“54. एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार को विनियमित किया जा सकता है; लेकिन इस तरह के नियामक उपाय, सामान्य रूप से, उचित शैक्षणिक मानकों, वातावरण और बुनियादी ढांचे (योग्य कर्मचारियों सहित) के रखरखाव और प्रबंधन के प्रभारी लोगों द्वारा कुप्रशासन की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए होने चाहिए।एक कठोर शुल्क संरचना का निर्धारण, एक शासी निकाय के गठन और संरचना को निर्देशित करना, नियुक्ति के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों का अनिवार्य नामांकन या प्रवेश के लिए छात्रों को नामित करना अस्वीकार्य प्रतिबंध होंगे।”

डी.

ई.

41. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि स्वयं संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार को विनियमित किया जा सकता है।हालांकि, इस तरह के नियामक उपाय, सामान्य रूप से, उचित शैक्षणिक मानकों, वातावरण और बुनियादी ढांचे के रखरखाव और कुप्रशासन की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए होने चाहिए।

एफ.

42. विवादित अधिसूचना, निस्संदेह, उचित शैक्षणिक मानकों और बुनियादी ढांचे के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है और इस तरह, इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में

जी.

टी. एम. ए. पाई फाउंडेशन और अन्य (ऊपर) का मामला, इसके बजाय

प्रत्यर्थी संख्या 1 के मामले का समर्थन करना, परिषद के मामले का समर्थन करेगा।

13 (2002) 8 एस. सी. सी. 481

43. हम आगे पाते हैं कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ का विवादित निर्णय भी न्यायिक औचित्य के आधार पर टिकाऊ नहीं है।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पहले ही 2016 की एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15090 के रूप में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें नए डेंटल कॉलेज को मान्यता देने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 के आवेदन को वापस करने और 24 सितंबर, 2011 को प्रस्तुत अपने आवेदन पर पुनर्विचार करने के निर्देश के लिए परिषद और प्रत्यर्थी संख्या 2 की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।उक्त रिट याचिका वर्ष 2016 में दायर की गई थी। उक्त रिट याचिका को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 3 नवंबर, 2016 के फैसले और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।3 नवंबर, 2016 को उक्त रिट याचिका खारिज होने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 1 मार्च, 2017 को उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष 2017 की डी. बी. सिविल रिट याचिका No.3260 के रूप में वर्तमान रिट याचिका दायर की।उक्त रिट याचिका में, प्रार्थना विवादित अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने और प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के निर्देश के लिए थी।विवादित अधिसूचना को पहले की रिट याचिका में बहुत अच्छी तरह से चुनौती दी जा सकती थी, जिसे वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दायर विद्वान गया था।हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष उस रिट याचिका में विफल होने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की।यद्यपि प्रार्थना में से एक विवादित अधिसूचना की वैधता को चुनौती देती है, दूसरी प्रार्थना इसके प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का दावा करती है।उक्त प्रार्थना को उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने 24 अप्रैल, 2018 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया है।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना, जिसे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2016 की एस. बी. सिविल रिट याचिका में 3 नवंबर, 2016 के आदेश के माध्यम से पहले ही खारिज कर दिया था, को वर्ष 2017 में दायर और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दी गई नई रिट याचिका में नवीनीकृत विद्वान गया है।

एफ.

44. इसलिए, हम पाते हैं कि न्यायिक औचित्य के आधार पर भी उच्च न्यायालय की खंड पीठ को एक प्रार्थना के लिए रिट याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए था, जो पहले से ही खारिज हो चुकी थी।इस मामले को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 24 अप्रैल, 2018 का विवादित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है।

जी.

45. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है।24 अप्रैल, 2018 का विवादित फैसला और आदेश ए की खंड पीठ द्वारा पारित किया गया

एच.

659

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बियानी शिक्षण समिति और ए. एन. आर. [बी. आर. गवई, जे.]

उच्च न्यायालय को रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है।उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर 2017 की डी. बी. सिविल रिट याचिका खारिज हो जाती है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

46. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

बी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.